न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2017/00309 (322/2017 ) 223 आरटीएक्ट

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)
2. लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0) – अपीलान्ट

**बनाम**

1. बलवीर कौर पत्नी कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
2. अमृतपालकौर पुत्री कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
3. सत्येन्द्रपाल पुत्र कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
4. पंकज सिंह पुत्र कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
5. गुरदास कौर बेवा दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
6. गुरप्रताप सिंह पुत्र स्व0 गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी हाल निवासी मकान नं0 134ए, अशोक वाटिका के पास, नाम चर्चा घर वाली रोड, नजदीक श्री रविदास चौंक, श्री गंगानगर
7. तहसीलदार, टिब्बी
8. उपपंजीयक, टिब्बी
9. मनदीप सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र गुरप्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 जी छोटी श्री गंगानगर
10. लवप्रीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली मन्दीप सिंह जाति जट सिख निवासी 12 जी छोटी, श्रीगंगानगर।

11. तरसेम सिंह पुत्र स्व.श्री अजायबसिंह जाति जट सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। ..... रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनाक 16.06.2017 द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी प्र.सं. 441/2011 बअनवानी बलवीर कौर बनाम गुरप्रताप सिंह आदि

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1, 2, 4, 5

श्री अब्दुल सतार जोईया रेस्पो0 सं0 3

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

**निर्णय** दिनांक – 08.06.2020

इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 से 5 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि चक 13 जी जी आर के खाता संख्या 86/3 की 3.289 हैक्टयर भूमि दर्शन सिंह–कर्मजीतसिंह व गुरमीत सिंह की संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 212 की कुल 3.542 हैक्टयर अवतार सिंह के नाम 1/3 हिस्सा, चक नं0 17 जी जी आर के खात संख्या 5/4 की .632 हैक्टयर आराजी चक 15 जी जी आर के खाता संख्या 31 की .506 हैक्टयर आराजी दर्शन सिंह–कर्मजीतसिंह व गुरमीत सिंह पिसरान अवतार सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसके अलावा चक 1 के एस पी बी के खाता संख्या 2/2 की 1.455 हैक्टयर भूमि दर्शन सिंह कर्मजीत सिंह के नाम व खाता संख्या 37 की 2.783 हैक्टयर भूमि में अवतार सिंह के नाम .637 हैक्टयर आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 का पिता गुरमीत सिंह फौत हो चुका है जिसका एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि जरिये डिक्री विभाजन

करवाकर अलग से अपने नाम दर्ज करवा ली, इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा नही है व समस्त भूमि वादीगण की है लेकिन राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता गुरमीत सिंह का दर्ज है जो कलमजन होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता का नाम दर्ज रहने से वादीगण के हकूक काश्तकारी पर विपरीत असर पडता है । वादीगण घोषणा पाने के अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि में गुरमीत सिंह व अवतार सिंह के नाम से अंकित भूमि के वादी संख्या 1 से 3 कुल 1/2 हिस्सा के तथा शेष 1/2 हिस्सा के वादी संख्या 4 व 5 बहिस्सा बराबर के हकदार है। कर्मजीतसिंह व दर्शन सिंह फौत हो चुके है कर्मजीत के नाम अंकित भूमि के वादी संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर के व दर्शन सिंह के नाम दर्ज भूमि वादी संख्या 4 व 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार है। इसी अनुसार वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया व वाद के तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किये कि वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा अवतार सिंह के नाम से दर्ज भूमि में मिन प्रतिवादी के पिता गुरमीत सिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है मिन प्रतिवादी के माता व पिता का स्वर्गवास हो चुका है उक्त कृषि भूमि में मिन प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार मिन प्रतिवादी .168 हैक्टयर भूमि का खातेदार कृषक है। अवतार सिंह ने अपने जीवन काल में दिनांक 12.08.1980 को चम 1 के एस पी बी व चक 12, 13, 15 व 17 जी जी आर की 56 बीघा भूमि में से अपने हिस्सा की 18 बीघा 15 विस्वा भूमि व खरीदशुद्वा 3 बीघा 16 विस्वा कुल 22 बीघा 11 विस्वा भूमि की वसीयत मिन प्रतिवादी के पक्ष में करवाई हुई है जो मिन प्रतिवादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी व दावेदार है। अतः मिन प्रतिवादी का काउन्टर कलैम डिक्री फरमाया जावे व मिन प्रतिवादी को वसीयत से प्राप्त 22 बीघा 11 विस्वा व पिता से प्राप्त .743 हैक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा का वादीगण ने जवाब

प्रस्तुत कर प्रतिदावा के कथनों से इन्कार किया व प्रतिदावा खारिज कर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

1. कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की जवाबदेही के आधार पर तनकीयात विरचित करने के पश्चात दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 16.06.2017 को वाद वादीगण डिक्री किये जाने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्याालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्यगण हैं। परिवार की भूमि का बंटवारा परस्पर सहमति से किया गया था व बंटवारा के अनुसार स्व0 श्री राम सिंह के तीनों पुत्रों का परिवार काबिज हुआ। अवतार सिंह ने बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि अपने तीन पुत्रों सर्व श्री दर्शनसिंह, श्री कर्मजीतसिंह व अपने दिवंगत पुत्र गुरमीत सिंह के पुत्र श्री गुरप्रताप सिंह के मध्य भूमि का बंटवारा किया उक्त बंटवारा से पक्षकारान विबंधित थे। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद दर्शनसिंह, सत्येन्द्रपाल सिंह, तरसेम सिंह, श्री हरचन्द सिंह उर्फ चन्द सिंह को पक्षकार बनाकर संस्थित किया था जिसमें श्री अवतार सिंह के द्वारा निष्पादित करवाए गए बंटवारानामा को वाद का आधार बनाकर उसके द्वारा उसे बंटवारे में दी गई सम्पत्ति को पृथक से अपने नाम से घोषित करवाने का अनुतोष चाहा था। इस वाद के जरिये प्रत्यर्थी संख्या–6 को चक नं0 1 केएसपी–बी की कुल 3.879 हैक्टेयर भूमि का प्रत्यर्थी गुरप्रताप सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उपरोक्त अवस्था में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 5 को उपरोक्त वर्णित बंटवारा के विपरीत कृषि भूमि की मांग करने का कोई अधिकार नहीं था अपीलार्थीगण को व अन्य प्रत्यर्थीगण को पक्षकार संयोजित नहीं किया व विधि

विरूद्ध तरीका से अपीलकृत निर्णय व डिक्री को प्राप्त किया। चक 1 केएसपी–बी की भूमि का आवंटन श्री अजायब सिंह व हरचन्द सिंह पिसरान रामसिंह को हुआ था परन्तु इसके बावजूद यह कृषि भूमि बंटवारा में श्री अवतार सिंह को मिली जिसे बाद में श्री अवतार सिंह ने बंटवारानामा दिनांक 01.12. 01983 के जरिये अपने पौत्र प्रत्यर्थी संख्या–6 गुरप्रताप सिंह को बंटवारे में दी। ऐसी स्थिति में जबकि सम्पूर्ण भूमि का घरेलू विभाजन हो चुका है. प्रत्यर्थीगण के द्वारा इस तथ्य को छिपाकर डिक्री प्राप्त करने की जो कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई है वह किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे व अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिदावा डिक्री फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडैन्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी स्पष्ट किया जा चुका था कि अपीलांट ने वाद संख्या 27/2008 प्रस्तुत कर अपने हक हिस्सा की भूमि का अलग से खाता व रकम कायम करवा लिया है व प्रश्नगत् भूमि में अब उसका कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है व सहबन से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व अभिलेख में हटाने से रह गया है जो हटाये जाने योग्य है व उसके नाम दर्ज भूमि के वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण हकदार है व प्रतिवादी जिस वसीयत के कथन कर रहा है वह वसीयत वसीयत कर्ता द्वारा अपने जीवन काल में ही निरस्त करवा दी गई थी जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत से उसे कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतयः विधिनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे। वकील रेस्पोडैन्ट ने अपने बहक के समर्थन में 2016(1) आर आर टी पेज 56 व पेज 440 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की प्रतियां प्रस्तुत की।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा विद्वाव अधिवक्ता अपीलांट/रेस्पोडैन्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि वादी संख्या 1 से 3 के पति व पिता कर्मजीत सिंह, वादी संख्या 4 व 5 के पति व पिता दर्शन सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गुरमीत सिंह की भूमि थी व समस्त भूमि में से कुछ भी कर्मजीतसिंह, दर्शन सिंह व गुरमीत सिंह के पिता अवतार सिंह के नाम दर्ज थी। वादीगण द्वारा अपने वाद में कथन किये गये है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गुरमीत सिंह का देहान्त हो चुका है व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का सहायक कलैक्टर, टिब्बी में वाद दर्ज करवा अलग से खाता व रकम कायम करवा लिया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने योग्य है व प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता के नाम दर्ज भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाने का अनुतोष चाहा है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–13 वाद–पत्र बअनवानी गुरप्रताप सिंह बनाम दर्शन सिंह आदि जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय सहायक कलैक्टर, टिब्बी के समक्ष अन्तर्गत धारा 53 व 88 आर टी ए का प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें प्रश्नगत् भूमि में इस्तकरारहक व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया है व प्रदर्श–14 सहायक कलैक्टर, टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2010 जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र प्रदर्श–13 एकपक्षीय स्वीकार किया हुआ है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत् भूमि में अपने हितों की घोषणा व विभाजन का अनुतोष प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट ने अपने प्रतिदावा का आधार यह भी अंकित किया था कि स्व0 अवतार सिंह जो प्रतिवादी संख्या 1 का दादा ने दिनांक 12.

08.1980 को 22 बीघा 11 विस्वा भूमि की वसीयत करवाई थी जिसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चाहा गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श– 16ए दस्तावेज वसीयत कैन्सिल से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा जिस वसीयत दिनांक 12.08.1980 के कथन किये गये है वह वसीयत अवतार सिंह द्वारा दिनांक 25.02.1984 को कैन्सिल करवाई जा चुकी है व कैन्सिल वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि होना नही पाया जाता तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2017 यथावत रखे जाने योग्य है एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलांट खारिज की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2017 यथावत रखे जातें हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायायल का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2017/00309 (322/2017 ) 223 आरटीएक्ट

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)
2. लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0) – अपीलान्ट

**बनाम**

1. बलवीर कौर पत्नी कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
2. अमृतपालकौर पुत्री कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
3. सत्येन्द्रपाल पुत्र कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
4. पंकज सिंह पुत्र कर्मजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
5. गुरदास कौर बेवा दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज0)
6. गुरप्रताप सिंह पुत्र स्व0 गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी हाल निवासी मकान नं0 134ए, अशोक वाटिका के पास, नाम चर्चा घर वाली रोड, नजदीक श्री रविदास चौंक, श्री गंगानगर
7. तहसीलदार, टिब्बी
8. उपपंजीयक, टिब्बी
9. मनदीप सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र गुरप्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 12 जी छोटी श्री गंगानगर
10. लवप्रीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली मन्दीप सिंह जाति जट सिख निवासी 12 जी छोटी, श्रीगंगानगर।

11. तरसेम सिंह पुत्र स्व.श्री अजायबसिंह जाति जट सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

..... रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनाक 16.06.2017 द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी प्र.सं. 441/2011 बअनवानी बलवीर कौर बनाम गुरप्रताप सिंह आदि

रूबरू श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो सं0 1, 2, 4, व 5 एवं श्री अब्दुलसतार रेस्पोडेण्ट 3 तथा श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ है कि अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलांट खारिज की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2017 यथावत रखे जातें हैं।

डिक्री आज दिनांक 08.06.2020 को मेरे हस्ताक्षरों से जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.06.08 11:39:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: